न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर (राज०)

पीठासीन अधिकारी :-रिछपाल सिह बुरडक (आर०ए०एस०)
अपील संख्या :- **33/2016**
अपीलान्ट :-

1. हीरालाल पुत्र महाबक्स जाति ब्राह्मण निवासी गोविन्दी तहसील नांवा जिला नागौर।
2. मूली देवी पत्नी रामचन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी गोविन्दी तहसील नांवा जिला नागौर।

रेस्पोडेन्ट :-

1. तहसीलदार नांवा तहसील नांवा जिला नागौर।

उपस्थित अधिवक्ता :-

श्री महेन्द्र सिंह खिलेरी अधिवक्ता, अपीलान्ट की और से।

अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 231 दिनांक 21.04.2003 द्वारा तहसीलदार नावां ग्राम गोविन्दी अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक :- **16.08.2021**

{1} यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत, नामान्तरण संख्या 231 दिनांक 21.04.2003 द्वारा तहसीलदार नावां ग्राम गोविन्दी तहसील नावां के विरूद्ध पेश की है।

{2} अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ग्राम गोविन्दी का स्थायी निवासी हैं। अपीलांट की पैतृक खातेदारी का खेत खसरा संख्या 61 रकबा 0.66 हैक्टेयर, खसरा संख्या 62 रकबा 0.74 हैक्टेयर, खसरा संख्या 63 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा संख्या 64 रकबा 1.90 हैक्टेयर, खसरा नं 96 रकबा 2.03 हैक्टेयर कुल रकबा 5.41 हैक्टेयर वाकै सरहद गोविन्दी में आया हुआ हैं जिसके पुराने खसरा नंबर 12 व 12/1 रहे है। उक्त खेतों के संबंध में तहसीलदार नावा ने एक आदेश दिनांक 03.03.2003 क्रमांक 12/22 के आधार पर उक्त खेतों की खातेदारी नामान्तरण संख्या 231 दिनांक 21.04.2003 के आधार पर ढोली बनाम मंदिर देवजी के नाम कर दी ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

{3} अपीलान्ट ने अपनी अपील निम्न आधार अंकित करते हुए पेश की है कि :-

{3} 1. यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरण ढोली बनाम मंदिर देवजी के नाम स्वीकृत करते समय दस्तावेजों का सही अवलोकन नहीं किया व नामान्तरण भरते समय भारी कानूनी एवं वाक्याती भूल की है।

{3} 2. यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरण स्वीकृत करते समय विधि के सिद्धान्तों की पालना नहीं की जिससे उक्त नामान्तरण अपास्त किये जाने योग्य है।

{3} 3. यह है कि नामान्तरण स्वीकृत करते समय रेस्पोडेन्ट ने इस तथ्य की और कोई गौर नहीं किया की उपर वर्णित खसरान की भूमि कभी भी ढोली की नहीं रही है।

{3} 4. यह है कि उक्त भूमि का पट्टा (खतौनी) सवत् 2008 में सेटलमेन्ट विभाग जयपुर डिवीजन द्वारा महाबक्स पुत्र हरबक्स कौम ब्राह्मण सा०देह ढोलीदार के नाम जारी किया हुआ है इस तथ्य की और भी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया है।

{3} 5. यह है कि संवत् 2016 तक उपर वर्णित खसरान नंबर की भूमि महाबक्स पुत्र हरबक्स के नाम रही है इस तथ्य की और भी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया।

{3} 6. यह है कि उक्त भूमि ढोली की नहीं होकर ढोलीदार (जागीरदार) की रही है। यह भूमि मंदिर की कभी भी नहीं रही है इस कारण अपीलाधीन नामान्तरण अपास्त किये जाने योग्य है।

{4} – उक्त नामान्तरण आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 30.06.2016 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील को दिनांक 01.07.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय के पत्र क्रमांक/भू०अ०/17/2390 दिनांक 26.05.2017 के द्वारा ग्राम गोविन्दी तहसील नावां का मूल नामान्तरण संख्या 231 दिनांक 21.04.2003 एवं संबधित आदेश इस न्यायालय में प्राप्त हुआ। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन नामान्तरण संख्या 231 दिनांक 21.04.2003 एव खतौनी ग्राम गोविन्दी सम्वत् 2013–2016 की प्रतिलिपि पेश की है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

{5} – प्रस्तुत अपील में रेस्पोडेन्ट तहसीलदार नावां ने अपने पत्र क्रमांक/भू०अ०/2021/1489 दिनांक 09.02.2021 द्वारा अपना जवाब मय दस्तावेजात प्रस्तुत किया है कि " ग्राम गोविन्दी पटवार मंडल गोविन्दी तहसील नावां के नवीन खसरा नंबर 61,62,63,64 का नामान्तरण संख्या 231 दिनांक 17.04.2003 के द्वारा खातेदारी से डोली बनाम मंदिर देवजी के नाम नामान्तरण दर्ज कर दिया गया, जबकि राज्य सरकार के आदेशानुसार प्रथम भू-प्रबंध में डोलीदार मन्दिर की खुदकाश्त दर्ज होने पर ही मनिदर के नाम दर्ज की जाने थी। ग्राम गोविन्दी के नवीन खसरा नंबर 61,62,63,64,96 के गत खसरा नंबर 12 मी.व 12/1 बने हैं । गत भू-प्रबंध अनुसार खसरा नंबर 12 मी. व 12/1 की खातेदारी में सलंग्न जमाबंदी नकल अनुसार नाम मालिक हासिल मय वल्दियत कौमियत व सकूनत के स्थान पर महाबक्स पुत्र हरबक्स कौम ब्राह्मण सा.देह डोलीदार एंव नाम काश्तकार व शिकामी मय वल्दियत कौमियत व सकूनत की जगह सुखा पुत्र मंगला हीर,पेमा पुत्र रामू जाट , गायडा पुत्र नन्दा मीणा सा०देह ब.हि.व. खातेदार दर्ज किया हुआ है।जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त जमीन पूर्व में मंदिर की खुद काश्त नही थी। काश्तकारों द्वारा काश्त की जाती थी । जिसका नवीन भू-प्रबंध में सलंग्न जमाबंदी अनुसार खातेदारी सही की गयी थी। वर्ष 2003 में नामान्तरण संख्या से खसरा नंबर 61,62,63,64 की खातेदारी से डोली बनाम मंदिर देवजी के नाम खातेदारी दर्ज कर दी गई जो सही नहीं है।"

{6} – प्रस्तुत अपील में तहसीलदार नावां द्वारा दिनांक 21.04.2003 को नामान्तरण किया गया है तथा अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 30.06.2016 को पेश की गयी हैं। । अपीलांट को उक्त नामान्तरण की जानकारी 03.06.2016 की नकल नामान्तरण लेने से हुई है। अपीलांट अपीलार्थी ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुडा हुआ व्यक्ति है तथा विधिक जानकारी नही रखता है। इस कारण अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत करने में देरी होने से प्रकरण में सहानूभूतिपूर्वक विचार किया जाकर दिनांक 21.04.2003 से दिनांक 30.06.2016 तक की देरी की समयावधि को कण्डोन किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

{7} – बहस अधिवक्ता अपीलांट सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी अपील में अंकित तथ्यों एव आधारों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ग्राम गोविन्दी का स्थायी निवासी है। ग्राम गोविन्दी के खेत खसरा संख्या 61 रकबा 0.66 हैक्टेयर, खसरा संख्या 62 रकबा 0.74 हैक्टेयर, खसरा संख्या 63 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा संख्या 64 रकबा 1.90 हैक्टेयर, खसरा नं 96 रकबा 2.03 हैक्टेयर कुल रकबा 5.41 हैक्टेयर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

अपीलांट की पैतृक खातेदारी की भूमि रही है जिस पर तहसीलदार नावां ने नामान्तरण संख्या 231 दिनांक 21.04.2003 स्वीकृत कर भारी कानूनी भूल की है। उक्त नामान्तरण विधि के सिद्धान्तों के विपरित होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अतः आलौच्य नामान्तरण बिना दस्तावेजात के अवलोकन व बिना तथ्यों पर गौर फरमाये स्वीकृत किये जाने से निरस्त किये जाने योग्य होने से निरस्त फरमावे।

{8} – बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया व मनन किया गया। ग्राम गोविन्दी की खतौनी सम्वत् 2008 की फोटो प्रति पर उपलब्ध है कि अनुसार पुराने खसरा नंबर 12 व 12/1 खतौनी के कॉलम संख्या 4 (नाम मालिक, हासिल मय वल्दियत ,कौमियत व सकूनत) में महाबक्स पुत्र हरबक्स कौम ब्राह्मण सा०देह डोलीदार एवं कालम संख्या 5 (नाम काश्तकार व शिकमी, हासिल मय वल्दियत,कौमियत व सकूनत) मे सुखा पुत्र मंगला हीर,पेमा पुत्र राजुराम जाट , गायडा पुत्र नन्दा मीणा सा०देह० ब०हि०ब० खातेदार दर्ज है। जमाबन्दी खेवट खतौनी ग्राम गोविन्दी सम्वत् 2013 से सम्वत् 2016 में ख०न० 12 व 12/1 सुखा पिता मंगला अहिर,पेमा पिता रामू जाट, गायडा पिता नन्दा मीणा ब०हि०ब० कृषक के रूप में एव महाबगस पिता हरबगस बिरामण सा० देह डोलीदार के रूप में दर्ज है। यह भूमि सम्वत २०१७ से २०२१ से सुखा पिता मंगला अहिर, पेमा पिता रामू जाट, गायडा पिता नन्दा मीणा सा०देह खातेदार के रूप में दर्ज हो गयी। अपीलान्ट ने अपील के बिन्दू संख्या 2 में यह अंकन किया है कि ख०न० 61,62,63,64 व खसरा नंबर 96 कुल रकबा 5.41 हैक्टेयर अपीलान्ट की पैतृक खातेदारी का खेत है जिसके पुराने खसरा नंबर 12 व 12/1 रहे है जबकि दिनांक 23.02.2021 को न्यायालय हाजा की पत्रावली में पेश शपथ पत्र जो अपीलांट्स हीरालाल पुत्र महाबक्स एवं मूली देवी पत्नी रामचन्द्र ने पेश किए है उनके अनुसार खसरा नंबर 96 उनके द्वारा खरीद सुदा भूमि बताई गयी है। इसकी ताईद में बेचाननामा दिनांक 07.04.2016 की फोटो प्रति पेश की है जिसके खसरा नंबर 96, उन्होनें नोरती पत्नी नारायणराम जाट, सुरज्ञान पुत्री नारायणराम जाट व रामेश्वरलाल पुत्र नारायणराम जाट से खरीद की है। पत्रावली के सम्पूर्ण अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि नामान्तरण संख्या 231 दिनांक 21.04.2003 द्वारा खसरा नंबर 61,62,63,64 डोली बनाम मंदिर देवजी के नाम दर्ज किए है एवं खसरा नंबर 96 तत्समय दर्ज खातेदारान के नाम ही रहा है। तहसीलदार नावां के पत्र क्रमांक/भू०अ०/2021/1489 दिनांक 09.02.2021 द्वारा उन्होनें माना है कि " ग्राम गोविन्दी पटवार मंडल गोविन्दी तहसील नावां के नवीन खसरा नंबर 61,62,63,64 का नामान्तरण संख्या 231 दिनांक 17.04.2003 के द्वारा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

खातेदारी से डोली बनाम मंदिर देवजी के नाम नामान्तरण दर्ज कर दिया गया, जबकि राज्य सरकार के आदेशानुसार प्रथम भू-प्रबंध में डोलीदार मन्दिर की खुदकाश्त दर्ज होने पर ही मंदिर के नाम दर्ज की जाने थी। ग्राम गोविन्दी के नवीन खसरा नंबर 61,62,63,64,96 के गत खसरा नंबर 12 मी.व 12/1 बने हैं । गत भू-प्रबंध अनुसार खसरा नंबर 12 मी. व 12/1 की खातेदारी में सलंग्न जमाबंदी नकल अनुसार नाम मालिक हासिल मय वल्दियत कौमियत व सकूनत के स्थान पर महाबक्स पुत्र हरबक्स कौम ब्राह्मण सा.देह डोलीदार एंव नाम काश्तकार व शिकामी मय वल्दियत कौमियत व सकूनत की जगह सुखा पुत्र मंगला हीर,पेमा पुत्र रामू जाट , गायडा पुत्र नन्दा मीणा सा०देह ब.हि.व. खातेदार दर्ज किया हुआ है।जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त जमीन पूर्व में मंदिर की खुद काश्त नही थी। काश्तकारों द्वारा काश्त की जाती थी । जिसका नवीन भू-प्रबंध में सलंग्न जमाबंदी अनुसार खातेदारी सही की गयी थी। वर्ष 2003 में नामान्तरण संख्या से खसरा नंबर 61,62,63,64 की खातेदारी से डोली बनाम मंदिर देवजी के नाम खातेदारी दर्ज कर दी गई जो सही नहीं है।" लेकिन अपीलांट द्वारा पेश अपील के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात द्वारा यह कही भी सिद्ध नही हो रहा है कि उनका हक खसरा नंबर 61,62,63,64 में किस प्रकार से है। अगर अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि मे किसी प्रकार का हक अधिकार निहित हों तो सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करना चाहिए ।इस प्रकार अपीलांट प्रकरण में प्रभावित पक्षकार नही होने से अपील अपीलांट सारहीन प्रतीत होती है।

-:आदेश:-

इस प्रकार अपीलांट का प्रकरण में प्रभावित पक्षकार नही होने से अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 16.08.2021 को मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुहर से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)